जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 28.01.2024***

आज दिनांक 28.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 45 वाहनों से 43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.01.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 45 वाहनों से 43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट** **दिनांक 28.01.2024** **जनपद- सन्तकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 02 परिवार के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में चलाये जा रहे *'**साथ-साथ**' कार्यक्रम *(टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)* के तहत आज दिनांक 28.01.2024 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर **थाना प्रभारी पूनम** मौर्या एवं नियुक्त सदस्य ***श्री रिफातुल्लाह अंसारी*** के अध्यक्षता में 02 मामला आया। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

01- प्रथम पक्ष – जुलेखा खातुन पत्नी मो0 वसिम निवासी मोहद्दीनपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। द्वितीय पक्ष – मो0 वसिम पुत्र स्व0 मो0 यासीन निवासी ग्राम- मोहद्दीनपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी-खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

02- प्रथम पक्ष – सीमा पुत्री कृष्णदेव निवासी काजीपुर धोबी टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वितीय पक्ष – धर्ममीन्द पुत्र रामसुरेश निवासी ग्राम- सवापार धोबी घटवा हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 28.01.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थान पर लगवाये गये 07 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 28.01.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 07 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । **थाना धनघटा** पुलिस द्वारा 01 स्थान 04 कैमरे,थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

प्रेस नोट दिनांक 28.01.2024 जनपद- सन्तकबीरनगर

वर्ष 2023 में जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा गैगेस्टर अधि0 के अन्तर्गत कुल 116 अभियुक्तों, गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत कुल 278 अभियुक्तों व 17 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की गयी कार्यवाही

अपर पुलिस महानिदेशक **गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर0के0 भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में किये गये सराहनीय कार्य–**

- ➢ वर्ष 2023 में गम्भीर अपराधो में संलिप्त कुल 33 प्रकरणों में 116 अभियुक्तों के विरुद्ध गैगेस्टर अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है साथ ही गैगेस्टर अधि0 की धारा 14(1) के अन्तर्गत 1 प्रकरण में 79,36,700 रू0 (चल एंव अचल)की सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।
- ➢ गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत कुल 278 अभियुक्तों का चालान किया गया है तथा 17 अभियुक्त जो जिलाबदर के आदेश का उल्लघन करते पाये गये को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
- ➢ गोवध अधि0 के अन्तर्गत संलिप्त 38 अभियुक्तो के विरूद्ध गैगेस्टर अधि0, 33 अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा अधि0 व 33 अभियुक्तों का एचएस खाका खोलकर सतत निगरानी की कार्यवाही करायी जा रही है।
- ➢ विभिन्न अपराधों में वांछित चल रहे कुल 63 अपराधियों के विरूद्ध पुरस्कार घोषणा की कार्यवाही करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी है इन पुरस्कार घोषित अपराधियों में से 25 हजार रूपये के 12, 20 हजार रूपये के 5, 15 हजार रूपये के 9, 10 हजार रूपये के 38 तथा 5 हजार रूपये के 02 अपराधी है।

- ***एनडीपीएस अधि0 के अन्तर्गत कुल 34 प्रकरणों में 38 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया ।***
- ***शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत 144 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया ।***

- ➢ मादक पदार्थ की तस्करी/बिक्री के अवैध गतिविधियो में संलिप्त कुल 38 अभियुक्तों के विरूद्ध एनडीपीएस अधि0 के अन्तर्गत कुल 34 प्रकरणों में 18 किग्रा0 गांजा, 0.0295 किग्रा0 अफीम, 339.06 ग्राम स्मैक व 584 अदद नशीली गोली बरामद कर जेल भेजा गया है।

- ➢ अवैध शस्त्र रखने तथा शस्त्रों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत 144 अभियोगो 144 अभियुक्तों को गिर0 कर 01 अदद फैक्ट्री मेड रिवाल्वर, 01 अदद पिस्टल, 12 अदद कारतूस, 12 अदद देशी पिस्टल/कट्टा व 135 अदद धारदार हथियार बरामद कर जेल भेजा गया है।

- ***आबकारी अधि0 के अन्तर्गत 648 प्रकरणों में कुल 652 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2.5 ली0 अग्रेजी शराब, 7272 ली0 कच्चीषराब, व 113 अदद भटठी/उपकरण तथा 726 कुन्तल लहन नष्ट किया गया है।***
- ***यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के दृष्टिगत 39609 वाहनों से 13519300 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया है।***

- ➢ अवैध मदिरा के निष्कषर्ण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त कुल 652 अभियुक्तों के विरूद्ध आबकारी अधि0 के अन्तर्गत 648 प्रकरणों में 2.5 ली0 अग्रेजी शराब, 7272 ली0 कच्चीषराब, व 113 अदद भटठी/उपकरण तथा 726 कुन्तल लहन नष्ट किया गया है।
- ➢ यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के दृष्टिगत यातायात नियमों के उल्लघन में 140624 वाहनों का चालान कर 39609 वाहनों से 13519300 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया है।

- ***महिलाओं एंव बच्चियों के सुरक्षार्थ जनपद के समस्त थानो पर एण्टीरोमियो दल का गठन कर 21 प्रकरणों में 24 अभियुक्तों को गिर0 कर 3418 मनचलो/षोहदो को चेतावनी/माफीनामा दिया गया है।***

- ➢ महिलाओं एंव बच्चियों के सुरक्षार्थ जनपद के समस्त थानो पर एण्टीरोमियो दल का गठन किया गया है। जिनके द्वारा 11863 स्थानो पर चेकिंग करते हुए 65984 व्यक्तियों को चेक कर 21 प्रकरणों में 24 अभियुक्तों को गिर0 कर 3418 मनचलो/षोहदो को चेतावनी/माफीनामा दिया गया है।
- ➢ अपराध नियंत्रण की दिषा में जनपद में कुल 10 गैगों का पंजीकरण हुआ है तथा 73 सक्रिय अपराधियों का एचएस खाका खोलकर निगरानी करायी जा रही है।
- ➢ 2262 पेषेवर अपराधियों के विरूद्ध धारा 110 जा0फौ0 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की गयी है।
- ➢ सार्वजनिक स्थलो पर अवैध अतिक्रमण/अवांछनीय कृत्य में पाये जाने वाले 10607 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 34 पुलिस अधिनियम, 290, 510 भादवि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

इसी क्रम में वर्ष 2024 में अबतक अपराध नियंत्रण की दिषा में निम्न कार्यवाही की गयी हैः-

गैगेस्टर अधि0 के अन्तर्गत 06 प्रकरण में 20 अभियुक्तों,गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत कुल 06 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी ।

वर्ष 2024 में अब तक गैगेस्टर अधि0 के अन्तर्गत 06 प्रकरणो में 20 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है शेष चिन्हित प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है।

- ➢ वर्ष 2024 में अब तक गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत 6 व्यक्तियों का चालान किया गया है।

- ***शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत 06 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया ।***

- ➢ वर्ष 2024 में अब तक अवैध शस्त्र रखने तथा शस्त्रों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत 06 अभियोगो 06अभियुक्तों को गिर0 कर 06 अदद धारदार हथियार बरामद कर जेल भेजा गया है।

- ***एनडीपीएस अधि0 के अन्तर्गत कुल 03 प्रकरणों में 38 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया ।***

- वर्ष 2024 में अब तक मादक पदार्थ की तस्करी/बिक्री के अवैध गतिविधियो में संलिप्त कुल 38 अभियुक्तों के विरूद्ध एनडीपीएस अधि0 के अन्तर्गत कुल 03 प्रकरणों में 2.1 किग्रा0 गाँजा, 45 अदद नषीली गोली बरामद कर जेल भेजा गया है।

- वर्ष 2024 में अब तक अवैध मदिरा के निष्कषर्ण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त कुल 36 अभियुक्तों के विरूद्ध आबकारी अधि0 के अन्तर्गत 35 प्रकरणों में 272 ली0 कच्ची षराब, व 06 अदद भटठी/उपकरण तथा 98 कुन्तल लहन नष्ट किया गया है।

वर्ष 2024 में अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत (एनएसए) 01 अभियुक्त की निरूद्धी की कार्यवाही करायी गयी है।

वर्ष 2024 में अब तक 11 सक्रिय अपराधियों का एचएस खाका खोलकर निगरानी करायी जा रही है जिनमें लूट के 02, नकबजनी 01, मादक पदार्थ की तस्करी के 01, गोवध तस्करी के 04, अन्य गम्भीर अपराध के 03 अभ्यस्त अपराधी है।

गोवध अधि0 के अन्तर्गत 38 अभियुक्तों विरूद्ध गैगेस्टर,33 अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा अधि0, 33 अभियुक्तों का एचएस खाका खोलकर सतत निगरानी की कार्यवाही करायी जा रही है।

वर्ष 2024 में अब तक खोले गये हिस्ट्रीशीट की संख्या			
क्र.सं.	थाना	अभियुक्त का नाम पता	मूल अपराध
01	कोतवाली खलीलाबाद	आलोक राय पुत्र दिनेश राय निवासी एकमा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर	अन्य गम्भीर अपराध
02	कोतवाली खलीलाबाद	धीरज पाण्डेय पुत्र ओंकार पाण्डेय निवासी तेनुहारी दोयम थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर	अन्य गम्भीर अपराध
03	कोतवाली खलीलाबाद	नीरज पाण्डे पुत्र ओंकार पाण्डेय नीवासी तेनुहारी दोयम थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर	अन्य गम्भीर अपराध
04	दुधारा	सदनलाल चौरसिया उर्फ सदन चौरसिया निवासी सेमरियावा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर	एनडीपीएस
05	दुधारा	खुर्शीद उर्फ भगोले पुत्र मो0 हसन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर	गोवध
06	दुधारा	मो0 सबीब पुत्र मो0 मुस्लिम निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर	गोवध
07	दुधारा	नजीम पुत्र मो0 मुस्लिम निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर	गोवध
08	धनघटा	रमेश चौहान पुत्र निर्मल निवासी छोटी रुपिन थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर	नकबजनी
09	महुली	अब्दुल रहीम पुत्र स्व0 नकछेद निवासी जमदाशाही थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती हा0मु0 जमुहटा थाना महुली जनपद सतकबीरनगर	गोवध
10	धर्मसिंहवा	रणजीत शुक्ला पुत्र अर्जुन शुक्ला निवासी मेहदुपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर	लूट
11	धर्मसिंहवा	विनय कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी अतरीनानकार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर	लूट

- अपराध एंव अपराधियो पर प्रभावी नियंत्रण एंव सतत कार्यवाही के दृष्टिगत जनपद स्तर पर तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुरूप शेष चिन्हित प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।